फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

अमेदाराम बनाम प्रहलादराम वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं 344/19 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18.11.2019	प्रार्थी की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि मौजा इन्द्राणियों का तला पटवार मण्डल कानोड़ तहसील गिड़ा में आई हुई है। प्रार्थी वकील के कथनानुसार विप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलअन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा कारित करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 09.12.2019 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा इन्द्राणियों का तला पटवार मण्डल कानोड़ तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 197, 202, 294, 304, 305, 310, 313, 311 रकबा क्रमशः 48.02, 96.04, 07.06, 00.16, 86.10, 07.13, 70.16, 01.03 बीघा की भूमि में विप्रार्थीगण संख्या 1 किसी प्रकार की दखलअन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा कारित नहीं करें। न ही किसी प्रकार का कोई कच्चा–पक्का निर्माण न स्वयं करें न ही किसी अन्य से करावें। वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक उभय पक्षकारान् पाबन्द रहे। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 09.12.2019 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

09/12/19

प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण सं. 2, 3, 5 व 9 की ओर से वकील खेताराम जाखड़ द्वारा वकालतनामा पेश किया। शेष विप्रार्थीगण के नोटिस तामील अदम तामील इजाफा पीठासीन अधिकारी का दौरा ड्यूटी कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 20/1/2020 को पेश हो तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

20/01/2020

प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या - 2,3,5 व 9 के वकील उपस्थित। शेष विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील मय जाब्ता / इन्तजार है। विप्रार्थी संख्या - 2,3,5 व 9 के वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, फाईनल पेश करना चाहते हैं। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 02/03/2020 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

02/03/2020

वकील प्रार्थी फतेहदीन उपस्थित / विप्रार्थी संख्या 1 व 4 की ओर से मूल का के वकील श्री धमनाराम सारण द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। विप्रार्थी वकील जवाब फाईनल पेश करना चाहते हैं। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 30/03/2020 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

रा० आ० 344/19

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/03/20	पत्रावली आज पेश हुई। बहुलाय फरीकेन उपस्थित। विपक्षी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। फाईनल पेश करना चाहते है। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यो मे व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 26/05/20 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।	
26/05/20	पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोई नहीं लिया गया। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यो मे व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 22/07/2020 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।	
22/07/20	बहुलाय फरीकेन उपस्थित। विपक्षी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। फाईनल पेश करना चाहते है। समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 05/08/2020 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/08/20	पक्षकारान करीबन उपस्थित। विपक्षी संख्या-1 के अधिवक्ता से 9 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। फाईल पेश करना चाहते हैं। समय दिया जाता है पत्रावली दिनांक 31/08/2020 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) [signature]	
31/08/2020	दोनों पक्षों के अधिवक्ता व विपक्षी संख्या-2 स्वयं उपस्थित। विपक्षी संख्या-1 व 4 के अधिवक्ता द्वारा जवाब मय दस्तावेजों की सूचि प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति की प्रति पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या-1 व 4 के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया की विपक्षी संख्या-1 की पुत्रवधु के नाम से आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत हो रखा है इसलिए प्रार्थी द्वारा मौके की यथास्थिति बनाये रखने की एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 18/11/19 को प्राप्त कर विपक्षी संख्या-1 के आवास को रुकवाने की नियत से प्राप्त किया गया है जिसे खारिज किया जावे ताकि विपक्षी संख्या-1 सरकारी योजना का लाभ प्राप्त कर सके इसके अतिरिक्त विपक्षी संख्या-1 के द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त है अन्यत्र कब्जा करने की कोई मंशा नहीं है। विपक्षी संख्या-2,3,5 व 6 से 9 के अधिवक्ता जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं जिनका जवाब बन्द किया जाता है। तथा प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया की पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 18/11/19 को तामील वाद	आईदानराम विपक्षी सं 2, 3,5 से 9 का जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं [signature] 31.8.2020

[signature]
सहायक कलक्टर (SDO) बाप

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पुरस्ता किया जावे की प्रार्थी के कब्जे काश्त में विप्रार्थी संख्या-1 किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करे तथा न ही किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण करे। अतः दोनो पक्षो के अधिवक्तागणों की बहस सुनने के बाद पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 18/11/19 को मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत को खारीज किया जाता है तथा प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-1 को पाबन्द किया जाता है कि दोनों पक्ष पूर्व के किये गये अपने कब्जे काश्त अलावा किसी प्रकार का ~~[illegible]~~ हस्तक्षेप नहीं करे। मौके की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक-18/11/2019 को खारीज किया जाकर पत्रावली मौसल कुमार की दर्ज नम्बर से कम की दाखिल दफ्तर की। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	